

16/2015

उनवान

सम्मत 20/08/2015 को न. गा. व. वि. भागा लक्ष्मी नि. वेडलिया
जिला 210 तमगा बालिका
लक्ष्मी 210 तमगा बालिका नि. वेडलिया

_____ (प्रार्थीगण)

बनाम
श्री 20 गणेश बालिका नि. वेडलिया
श्री 20 शंकर बालिका नि. वेडलिया
स्टेट बैंक आफ बिहार एंड जयपुर शाखा बनेडा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा

_____ (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 27-6-2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राज्य में दिनांक 24-2-2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2071 से 2074 की जमाबंदी के तहत वादी के ग्राम वेडलिया पटवार क्षेत्र वेडलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मुहकाली तहसील बनेडा की कृषि भूमि खाता संख्या 99 के आ0न0 618/2, 653/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1-15 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीयण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन वादी के सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत कम्प मुकाम वेडलिया में दिनांक 1-6 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीयण द्वारा राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर कोई आपत्ति नहीं दर्शाया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का अन्तर्गत अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

ग्राम वेडलिया पटवार क्षेत्र वेडलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मुहकाली तहसील बनेडा की कृषि भूमि खाता संख्या 99 के आ0न0 618/2, 653/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1-15 बीघा की पत्थरगढ़ी बशमलात पक्षकारान तहसीलदार द्वारा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 300/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय तक पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-6-16 को राजस्व लोक अदालत कम्प वेडलिया में सरे इजलास हुआ।


(संलग्न मशर)